अतिरिक्त सूची

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-2017/2018/ 418 भोपाल, दिनांक 01/08/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला – राजगढ़, रीवा, सागर, टीकमगढ़, विदिशा, सिवनी, सतना, रतलाम, रायसेन, मुरैना, मंदसौर, जबलपुर, एवं झाबुआ
मध्य प्रदेश

विषय : नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण।

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल में लोक स्वास्थ्य विभाग के तहत नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण दिनांक 13 अगस्त से 10 सितम्बर 2018 तक आयोजित किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं, प्रबंधकीय दक्षता, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में 3 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, भोपाल में दिनांक 13 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक दिया जाएगा एवं मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य एवं बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के संबंध में दो सप्ताह का तकनिकी कौशल प्रशिक्षण दिनांक 1 सितम्बर से 10 सितम्बर 2018 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/जबलपुर अथवा राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी/ क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के हॉस्टल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान समस्त प्रशिक्षणार्थियों को हॉस्टल में रहना अनिवार्य है। हॉस्टल में प्रशिक्षणार्थी के अलावा अन्य किसी परिजन अथवा मित्र को ठहरने की अनुमति नही होगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्तें का भुगतान शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी, अत: नामांकित चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर अपने स्तर से किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी को बिना पूर्व अनुमति के प्रशिक्षण हेतु नही भेजे।
7. प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, नामांकित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में भाग नही लेने पर बाद में उन्हे अवकाश लेकर स्वयं के व्यय पर यह प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उनकी परीविक्षा अवधी पूर्ण मानी जायेगी।

8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी **munshi.rakesh@gmail.com** पर प्राप्त करना आवश्यक है।
9. नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथी पर कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करे, यदि कोई चिकित्सा अधिकारी कर्तव्य पर उपस्थित नही हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे।
10. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को नियमित व्यायाम करना अनिवार्य है, इसके अलावा खेलकूद गतिविधियां भी आयोजित की जाती है। प्रशिक्षण को रोचक बनाने के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा दी जाती है, अतः इस संबंध में आवश्यक तैयारी के साथ प्रशिक्षण में भाग ले।

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की संचालक श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इससे संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी अथवा शिकायत/सुझाव के लिये ई-मेल आईडी **jd.rcvpn@gmail.com** अथवा दूरभाष नं. 0755-2445029 पर इनसे संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न -चिकित्सा अधिकारियों की नामांकन सूची।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./एमओ-2017/2018/ 419 भोपाल, दिनांक 01/08/2018

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर।
8. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/जबलपुर।
9. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

ADDITIONAL LIST

नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

13 अगस्त से 10 सितम्बर 2018

S.N.	Name of Medical Officer	Contact No.	Place of Posting	District
1	JITENDRA GUPTA	8878329155	Rajgarh-Civil Hospital, Biora	Rajgarh
2	KIRTI AZAD DWIVEDI	8931864712	Rewa-Civil Hospital, Tyonthar	Rewa
3	SANJAY KUMAR ROY	9479450083	Sagar-CHC, Jaisinagar	Sagar
4	ASHOK RAZDAN	7691981216	Sagar-CHC, Shahgarh	Sagar
5	VEENA VERMA	9303430927	Tikamgarh-CHC, Palera	Tikamgarh
6	SAMIKSHA TIWARI	8817691170	Vidisha-PHC, Bardha	Vidisha
7	PREETENDRA SINGH MEENA	9584952705	Vidisha-CHC, Nateran	Vidisha
8	SUSANT SHRIVASTAVA	9407014499	Seoni-PHC, Chhooi	Seoni
9	REHANA BANO MANSURI	8517802988	Satna-PHC, Bahelia Bhat	Satna
10	RAJNEESH TRIPATHI	9926791904	Ratlam-Civil Hospital, Alote	Ratlam
11	ANKIT JAIN	7898006321	Raisen-PHC, Kuchwada	Raisen
12	OMPRAKASH SHAKYA	9406347656	Morena-PHC, Devgarh	Morena
13	VISHAL VALMIK	9827014738	Civil Hospital, Garoth	Mandsaur
14	ANURAG ATROLIYA	7566753082	Jabalpur-CHC, Patan	Jabalpur
15	HARIOM GURJAR	8269030808	Jhabua-PHC, Khawasa	Jhabua